न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 1776–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–7–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 336/2007–08/अपील.

मंशाराम पुत्र पन्नालाल मृत वारिसान–

1– श्रीमती फुलिया पत्नी स्व. श्री मंशाराम
2– अमरू
3– भीमा
4– बाबूलाल
5– केशरी
6– रामकली
7– गुड्डी बाई
8– केशर बाई
क. 2 लगायत 8 पुत्रगण/पुत्रीगण स्व. श्री मंशाराम
निवासीगण ग्राम विन्द्रावन
तहसील आरौन जिला गुना
कृषक ग्राम निदान

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....प्रत्यर्थी

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/9/14 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री मंशाराम द्वारा कलेक्टर, गुना के समक्ष संहिता की धारा 165 (7) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि विक्रय किए जाने की अनुमति चाही गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/अ–21/2006–07 दर्ज कर तहसीलदार गुना से जॉच प्रतिवेदन चाहा गया । कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार, गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/अ–21/2006–07 पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण में कार्यवाही किया जाकर दिनांक 3–7–2007 को अनुविभागीय अधिकारी को जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–7–2007 को टीप सहित जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया गया । जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–10–2007 को आदेश पारित कर भूमि विक्रय किए जाने की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 29–10–2007 के विरूद्ध अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी स्व. मंशाराम द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21–4–2008 को लगभग 5 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–7–09 को आदेश पारित अपील समय बाह्य होने से समाप्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त एवं कलेक्टर के आदेश विधि विधान, प्रकरण पत्रावली एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं । यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री मंशाराम को कलेक्टर के आदेश की जानकारी नहीं

थी, क्योंकि आदेश की जानकारी न तो कलेक्टर न्यायालय द्वारा और न ही अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री मंशाराम के अभिभाषक के द्वारा उसे दी गई थी, ऐसी स्थिति में जानकारी प्राप्त होने पर सत्यप्रतिलिपि प्राप्त कर प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत की गई थी, अतः अपर आयुक्त को उदार दृष्टिकोण अपनाकर विलम्ब माफ करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर अपील समय बाह्य मानने में भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी स्व. श्री मंशाराम द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष बीमारी की स्थिति में अपील प्रस्तुत की गई थी, उनका ईलाज चल रहा था, वह आने–जाने में असमर्थ थे, बीमारी के इलाज का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर भरोसा नहीं कर मात्र कल्पनाओं एवं उपधारणाओं के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । उनके द्वारा अपील स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से अपील समय बाह्य मानकर खारिज करने में उचित कार्यवाही की गई है । अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मंशाराम द्वारा ग्राम नितेपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 7/3 रकबा 3.814 हेक्टेयर भूमि के विकय की अनुमति चाही गई है, जबकि वर्तमान में सर्वे कमांक 7/3 कुल रकबा 2.560 हेक्टेयर ही है और आवेदक द्वारा 3.814 हेक्टेयर में से 1.254 हेक्टेयर पूर्व में ही मूंगालाल को विकय की जा चुकी है, यह तथ्य उसकी जानकारी में होने पर भी उसके द्वारा सम्पूर्ण रकबा 3.814 हेक्टेयर के विकय की अनुमति चाही गई है, जिसे सद्भाविक नहीं कही जा सकता है । इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि शामिल खाते की भूमि है, जिसमें अपीलार्थीगण के पूर्वज मंशाराम का मात्र 1/5 हिस्सा है और विकय की अनुमति के लिए अन्य सह खातेदारों की सहमति नहीं है, जो कि आवश्यक है । साथ ही प्रश्नाधीन भूमि पर

अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मंशाराम का नाम भू–दान कृषक के रूप में दर्ज है । उपरोक्त आशय के ही निष्कर्ष निकालते हुए कलेक्टर द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मंशाराम का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त के समक्ष अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मंशाराम द्वारा 5 माह से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि आदेश की जानकारी उन्हें आदेश पारित होने के दिनांक को ही हो गई थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा भी अपील समय बाह्य होने से निरस्त करने में भी पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर द्वारा आदेश की कोई सूचना अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मंशाराम को नहीं दी गई थी और न ही अधिवक्ता द्वारा आदेश की जानकारी दी गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि कलेक्टर के आदेश को अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मंशाराम के अभिभाषक द्वारा आदेश पारित होने के दिनांक को ही नोट किया गया है और उसके हस्ताक्षर हैं । अपीलार्थीगण के पूर्वज स्व. मंशाराम का यह दायित्व था कि वे तत्समय अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण के संबंध में अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करते, परन्तु उनके द्वारा अपने दायित्य का निर्ववहन नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जान योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–09 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर